



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-4444-औसं-17/पाकालि/2023-11(01)ए०एस०/09 (23-24)

दिनांक: 30 सितम्बर, 2023

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को दी गयी मान्यता सम्बन्धी भिन्न-भिन्न आदेशों के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता एतद्वारा उनको दी गयी पूर्व मान्यता अवधि से निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 30.04.2024 तक निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेंटर, बी-55, एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ।	30.04.2024
2	पापुलर मेडिकेयर लिमिटेड, एन०-10/60, ए-2, डी०एल०डब्लू० नियर रेलवे ओवरब्रिज, ककरमत्ता, वाराणसी।	30.04.2024
3	अपोलो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स, प्रा०लि०, 14/138, चुन्नीगंज, माल रोड, कानपुर।	30.04.2024

- उपर्युक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- सूची में उल्लिखित अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होंगे। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2335-औसं-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
- उक्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के साथ-साथ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होंगे।

क्रमशः 2/-

5. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

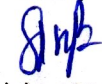
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:-4444 (1) औसं-17/पाकालि/2023-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/एस0एल0डी0सी0 लि0, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल/वाराणसी/पश्चिमांचल/मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/पंजीकरण प्राधिकारी, उ0प्र0।
17. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. कट फाइल।

भवदीय,



(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी